फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री रामलाल — **विपक्षी : श्रीमती गंगा**

किस्म मुकदमा – 131,133,136 भू.रा. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 83/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	

दिनांक : 18.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 5 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के अनुसार आराजी नम्बर 301 का सेटलमेन्ट से पूर्व रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा था जो सेटलमेन्ट के बाद रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा होना चाहिए था परन्तु रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कर दिया जिसे जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शें में सही तरमीम किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार हाल आराजी नम्बर 301 (साबिक आराजी नम्बर 286) के नक्शें एवं रेकार्ड अनुसार मौके पर वर्तमान में प्रार्थी का भौतिक रूप से कब्जा काश्त हैं। वर्तमान आराजी नम्बर 301 के साबिक आराजी नम्बर 286 तथा वर्तमान आराजी नम्बर 304 के साबिक आराजी नम्बर 299 के मध्य पूर्व से पश्चिम की लाईन सीधी है जो वर्तमान आराजी नम्बर 301 में से पूर्वी दक्षिणी कोने के जूज भाग रकबा 2 बिस्वा भूमि को वर्तमान आ. न. 304 (आ.चा.) में शामिल कर दिया गया है। साबिक आराजी नम्बर 286 रकबा 1.19 बीघा के वर्तमान आराजी नम्बर 301 रकबा 2.06 बीघा दर्शाया गया है जबकि हाल आराजी नम्बर 301 का रकबा 2.08 बीघा बनता है तथा साबिक आराजी नम्बर 299 रकबा 0.02 बीघा के वर्तमान आराजी नम्बर 304 होकर रकबा 0.06 बीघा दर्शाया गया जबकि आराजी नम्बर 304 का रकबा 0.03 बीघा बनता है। वादी द्वारा चाही गई इमदाद अनुसार वर्तमान आ.न. 301 रकबा 2.08 दर्ज कर वर्तमान नक्शें के आ.न. 301 एवं 304 के मध्य की लाईन की तरमीम पूर्व से पश्चिम को साबिक आ.न. 286 एवं 299 के अनुसार की जानी उचित होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 301 को राजस्व जमाबन्दी एवं नक्शें में सही तरमीम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133, 136 भू.रा.अ. का स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 301 रकबा 0.3723 हेक्टेयर के बजाय 0.3885 हेक्टेयर (अन्तर का बढा हुआ रकबा आ.न. 304 में से लिया गया) एवं आराजी नम्बर 304 रकबा 0.0486 हेक्टेयर के बजाय 0.0324 हेक्टेयर (कमी का रकबा आ.न. 301 में गया) तहसीलदार मावली से प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:37:11 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली